झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–03 / 2020

यशवंत कुमार .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पार्टी

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री आर0 मुखोपाध्याय

प्रतिवादी के लिए : श्री निरंजन कुमार, अधिवक्ता।

राज्य के लिए : श्री रवि प्रकाश, विशेष लोक अभियोजक।

02 / 10.01.2020 श्री निरंजन कुमार, याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्री रवि प्रकाश, विशेष लोक अभियोजक, राज्य के लिए, को सुना।

याचिकाकर्त्ता देवघर (साइबर) थाना काण्ड संख्या–68 / 2019 के संबंध में एक आरोपी है।

याचिकाकर्त्ता से कई मोबाइल फोन, पासबुक आदि बरामद किए गए। यह आरोप लगाया गया है कि वह साइबर अपराध में शामिल था।

यह याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्त्ता के पास कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है।

याचिकाकर्त्ता 23.10.2019 से हिरासत में प्रतीत होता है।

उपरोक्त के बावजूद, याचिकाकर्त्ता, जिसका नाम ऊपर दिया गया है, 10,000/– (केवल दस हजार रूपए) प्रत्येक राशि की दो जमानत के साथ और समान राशि दो प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर देवघर (साइबर) थाना काण्ड संख्या–68/2019 के संबंध में विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, देवघर की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है, इस शर्त के अधीन कि वह मुकदमे के समापन तक हर तारीख को विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष शारीरिक रूप से मौजूद रहेगा और जमानतदारों में से एक सरकारी कर्मचारी होना चाहिए।

ह0

(आर0 मुखोपाध्याय, न्याया0)